उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 02.04.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 02.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

थाना अजनर की पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 02.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गयी उ0नि0 हरीशंकर यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 57/2025 धारा 108/351(3) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त मोहर सिंह यादव पुत्र पूरन यादव उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम थाना अजनर जनपद महोबा को बस स्टैंड तिराहा अजनर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हरीशंकर यादव
2. का0 अमन यादव
3. का0 भरत सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

मोहर सिंह यादव पुत्र पूरन यादव उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम थाना अजनर जनपद महोबा ।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 02.04.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने पशु चोरी के 04 नफर वांछित अभियुक्तों को मुठभेड के दौरान गिरफ्तार किया है, इस दौरान अभियुक्तों के कब्जे से 02 तमंचा 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 मिस कारतूस सहित चोरी की सम्पत्ति से अर्जित 14 हजार रुपये नगद की बरामदगी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट, चोरी, अवैध तमंचा सहित विभिन्न अभियोग पंजीकृत हैं।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री गुलाब सिंह द्वारा गठित की गई पुलिस टीम ने थाना पनवाड़ी में पशु चोरी से सम्बन्धित प्रकरण में संलिप्त 04 नफर वांछित अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया है, प्रातःकालीन गस्त के दौरान थानाक्षेत्र अन्तर्गत बिजरारी गांव के पास संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए, जिनको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, अभियुक्तों ने इस पर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, पुलिस टीम ने स्वयं को बचाते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, इस दौरान अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 01 खोखा कारतूस व 01 मिस कारतूस सहित 14 हजार रु. नगद बरामद हुए हैं, अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि विगत दिनों थाना पनवाड़ी में (मु0अ0सं0 68/25 में धारा 303(2)/317(2) बीएनएस) भेड़ और बकरी चुराई थी, जिनको बेचकर के ही पैसे प्राप्त हुए थे। इस दौरान सभी 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में गैंगेस्टर एक्ट, चोरी व अवैध तमंचा सहित विभिन्न अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों एवं बरामदगी का विवरण-

1.अभिषेक राजपूत पुत्र महिपाल राजपूत उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम इटैलिया बाजा थाना जरिया जनपद हमीरपुर के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व एक अदद खोखा व एक अदद जिन्दा कारतूस व मु0अ0सं0 68/25 धारा 303(2)/217/(2) बीएनएस से सम्बन्धित 4000 रुपये नगद बरामद हुआ।

2.शैलेन्द्र कुमार पुत्र रमेश अहिरवार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम पलका थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर एक मिश कारतूस 315 बोर , व मु0अ0सं0 68/25 धारा 303(2)/217/(2) बीएनएस से सम्बन्धित 4000 रुपये नगद बरामद हुआ।

3.अमित कुमार पुत्र इश्वरीदयाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम कुल्हैन्डा थाना मझगवां जनपद हमीपुर के कब्जे से मु0अ0सं0 68/25 धारा 303(2)/217/(2) बीएनएस से सम्बन्धित 3000 रुपये नगद बरामद हुआ।

4. उपेन्द्र राजपूत पुत्र खेमचन्द्र राजपूत उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम भुजपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा के कब्जे से मु0अ0सं0 68/25 धारा 303(2)/217/(2) बीएनएस से सम्बन्धित 3000 रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. SHO श्री गुलाब त्रिपाठी
2. वरि0उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा थाना पनवाडी जनपद महोबा
3. उ0नि0 रामकिशन यादव थाना पनवाडी जनपद महोबा
4. उ0नि0 ज्योतिन्द्र नाथ शुक्ल थाना पनवाडी जनपद महोबा
5. हे0का0 रमेश चन्द्र थाना पनवाडी जनपद महोबा
6. का0 मिथुन कुमार थाना पनवाडी जनपद महोबा
7. का0 देवेन्द्र राजपूत थाना पनवाडी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त अभिषेक राजपूत पुत्र महिपाल राजपूत उम्र करीब 20 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

- मु.अ.सं. 108/23 धारा 457/380/411 भादवि
- मु.अ.सं. 97/24 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट
- मु.अ.सं. 68/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस
- मु.अ.सं.- 72/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट

2. अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार पुत्र रमेश अहिरवार उम्र करीब 20 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

- मु.अ.सं. 68/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस
- मु.अ.सं.- 72/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट

3. अभियुक्त अमित कुमार पुत्र इश्वरीदयाल उम्र करीब 24 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

- मु.अ.सं. 68/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस
- मु.अ.सं.- 72/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट

4. अभियुक्त उपेन्द्र राजपूत पुत्र खेमचन्द्र राजपूत उम्र करीब 23 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

- मु.अ.सं. 68/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस
- मु.अ.सं.- 72/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंशल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना कोतवाली नगर महोबा में पंजीकृत मु.अ.स 150/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त मो0 जावेद पुत्र जहागीर उम्र 21 वर्ष नि0 ग्राम रामनगर थाना बहेरा जिला दरभंगा बिहार हाल पता WZ13 बसई दारापुर रमेश नगर जिला पश्चिमी दिल्ली राज्य दिल्ली को थानाक्षेत्र के न्यू प्राइबेट बस स्टैण्ड मोहल्ला भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मो0 जावेद पुत्र जहागीर उम्र 21 वर्ष नि0 ग्राम रामनगर थाना बहेरा जिला दरभंगा बिहार हाल पता WZ13 बसई दारापुर रमेश नगर जिला पश्चिमी दिल्ली राज्य दिल्ली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा
2. आरक्षी दीपेश कुमार थाना कोतवाली नगर महोबा

महोबा पुलिस

थाना अजनर की पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 02.04.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित की गयी उ0नि0 ऋषि शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना अजनर में पंजीकृत अभियोग पर मु0अ0सं0 71/2025 धारा 376(2)(n)/506 भा0द0सं0 व 66(E) आई0टी0 एक्ट व 5/6 पाक्सो एक्ट में वाँछित एक नफर अभियुक्त तरूण कुमार उर्फ तनुज पुत्र राजेन्द्र कुमार उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम खिरियाकला थाना अजनर जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के मवइया मोड ग्राम मबइया से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को अग्रिम विधिक कार्यवाही के उपरान्द माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हुत भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ऋषी शुक्ला थाना अजनर जनपद महोबा।
2. का0 अमन यादव थाना अजनर जनपद महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

तरूण कुमार उर्फ तनुज पुत्र राजेन्द्र कुमार उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम खिरियाकला थाना अजनर जनपद महोबा।

अपराध का विवरण-

मु0अ0सं0 71/2025 धारा 376(2)(n)/506 भा0द0सं0 व 66(E) आई0टी0 एक्ट व 5/6 पाक्सो एक्ट।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 02.04.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अस्थाई मेडिकल चौकी प्रभारी की तत्परता से जिला अस्पताल में खुम हुआ आईफोन बरामद, मोबाइल स्वामी ने चौकी प्रभारी की त्वरित कार्यवाही की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।

दिनांक- 01.04.2025 को जनपद महोबा के जिला अस्पताल में उपचार हेतु आये हाजी इम्तीयाज निवासी ढलैतनपुरा जनपद महोबा का आईफोन 13 प्रो गुम हो जाने की सूचना अस्थाई मेडिकल चौकी प्रभारी श्री बुद्धी सागर को प्राप्त हुई।

इस सूचना पर अस्थाई मेडिकल चौकी प्रभारी द्वारा तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी कण्ट्रोल रुम को खुलवाया गया, सीसीटीवी चेकिंग के उपरान्त ज्ञात हुआ कि मोबाइल स्वामी जिला अस्पताल में जहां बैठे थे वहीं पर अपना फोन भूलवश छोड दिए थे।

उपचार कराने आये अन्य व्यक्ति जो अपने साथ आयी एक महिला का उपचार कराने के लिए आया था जिनके द्वारा इनका आई-फोन वहां से उठा लिया गया था, इस पर अस्थाई मेडिकल चौकी प्रभारी द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन पर पडे हुए नम्बर पर संपर्क किया गया व महिला जिला अस्पताल के आस-पास भी सीसीटीवी में दिखाई दिए व्यक्ति की खोजबीन की गयी। इसी दौरान व्यक्ति ने फोन उठाया और उसने बताया कि वह महिला अस्पताल में मौजूद हैं।

इस पर अस्थाई मेडिकल चौकी प्रभारी द्वारा व्यक्ति से मोबाइल लेकर उसके वास्तविक मोबाइल स्वामी को सुपुर्द किया गया है। मोबाइल स्वामी ने अपना गुम हुआ मोबाइल पाकर खुशी जाहिर की है साथ ही अस्थाई मेडिकल चौकी प्रभारी श्री बुद्धी सागर की तत्परता, कार्यकुशला की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए जनपदीय पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त किया है।